

**छत्तीसगढ़ शासन,
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर**

--: आदेश :-

नया रायपुर, दिनांक /11/2014

क्रमांक एफ- /2014/23/वि.यो.:- राज्य शासन एतद् द्वारा जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन में वृद्धि हेतु जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(1), 13(2) एवं 13(3) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001, के नियम 9(1), (2) एवं (3) में निर्धारित विलम्ब शुल्क में संशोधन करते हुए जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं के पंजीयन हेतु विलम्बित शुल्क "एक रुपया" प्रति विलम्बित पंजीयन विलम्ब शुल्क निर्धारित किया जाता है। उक्त संशोधित शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर के बजट में प्रावधानित की जाएगी तथा वर्ष भर में राज्य में किए जाने वाले इस प्रकार के विलम्बित जन्म-मृत्यु पंजीयन के ऐवज में वहनीय शुल्क समायोजन विभागीय प्राप्ति शीर्ष में बुक ट्रांसफर द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001, के नियम 13 (1)-(क) (ख) (ग) एवं (घ) द्वारा पंजीयन की तलाशी करने, उद्धरण एवं अप्राप्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित शुल्क को विलोपित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार शुल्क में छूट आगामी पांच वर्ष के लिए दिया जाता है। उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति एफ-2014-04-01591/बी-1/चार दिनांक 05.11.2014 के आधार पर प्रदत्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आलोक अवस्थी)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

नया रायपुर, दिनांक 05/11/2014

पृ. क्रमांक एफ-867/2014/23/वि.यो.
प्रतिलिपि:-

1. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066
 2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, रायपुर
 3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 4. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छ.ग. रायपुर
- की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग